न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 32/2026 (Bank Case)
GCMS No. 2026/67
गृहम हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में मेग्मा एवं पूनावाला हाउसिंग फाईनेन्स लि. के नाम से ज्ञात) जिसका पंजीकृत कार्यालयः–602, 6th फलोर, जीरो वन, आईटी पार्क, सर्वे नम्बर– 79/1, घोरपडी, मुंधवा रोड, पुणे– 411036 एवं शाखा कार्यालय– आठवां तल, आई.बी.सी. टॉवर, मालवीया मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में स्थित एवं कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री तरूण शर्मा।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री बसंती पंवार पत्नी श्री रामस्वरूप (ऋणी व बंधककर्ता विधिक वारिस स्व0 महेन्द्र पंवार)
   पता– नेहरू नगर, हरिजन बस्ती, भीमगंजमण्डी, रंगपुर, कोटा (राज0) 324002
   अन्य पताः– सर्वे नं0 283, हरिजन बस्ती, नेहरू नगर, कोटा जंक्शन, कोटा (राज0)– 324002
2. आशीष पंवार पुत्र विधिक वारिस स्व0 महेन्द्र पंवार –(सहऋणी)
   पता– नेहरू नगर, हरिजन बस्ती, भीमगंजमण्डी, रंगपुर, कोटा (राज0) 324002
3. साहिल पंवार विधिक वारिस स्व0 महेन्द्र पंवार
   पता– नेहरू नगर, हरिजन बस्ती, भीमगंजमण्डी, रंगपुर, कोटा (राज0) 324002

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 18.03.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गृहम हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में मेग्मा एवं पूनावाला हाउसिंग फाईनेन्स लि. के नाम से ज्ञात) जिसका पंजीकृत कार्यालयः–602, 6th फलोर, जीरो वन, आईटी पार्क, सर्वे नम्बर– 79/1, घोरपडी, मुंधवा रोड, पुणे– 411036 एवं शाखा कार्यालय– आठवां तल, आई.बी.सी टॉवर, मालवीया मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में स्थित एवं कार्यरत है। अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने बतौर सहऋणी प्रार्थी वित्तिय संस्था से दिनांक 24.02.2022 को ऋण अनुबंध संख्या HF0199H20100169 में रूपये 13,00,000/– रूपये (अक्षरेः तेरह लाख रूपये मात्र), का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में **श्रीमती बसन्ती बाई पत्नी स्व0 श्री रामस्वरूप की अचल सम्पत्ति जो कि सर्वे नम्बर 283, हरिजन बस्ती, नेहरू नगर, कोटा जंक्शन, जिला– कोटा (राज0) पर स्थित है, जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 53.12 वर्ग गज है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– चर्तुभुज का मकान, पश्चिम में– 20 फुट चौडा रोड, उत्तर में– 20 फुट चौडा रोड, दक्षिण में– मकान बाबूलाल व निरमल,** को प्रार्थी वित्तिय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.08.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 12,56,725/–(अक्षरे बारह लाख, छप्पन हजार सात सौ पच्चीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 09.10.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तिय संस्था ने उक्त एक्ट

की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 14.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा वंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 14.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 14.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्रीमती बसन्ती बाई पत्नी स्व0 श्री रामस्वरूप की अचल सम्पत्ति जो कि सर्वे नम्बर 283, हरिजन बस्ती, नेहरू नगर, कोटा जंक्शन, जिला– कोटा (राज0) पर स्थित है, जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 53.12 वर्ग गज है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– चर्तुभुज का मकान, पश्चिम में– 20 फुट चौडा रोड, उत्तर में– 20 फुट चौडा रोड, दक्षिण में– मकान बाबूलाल व निरमल,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)